मध्यप्रदेश शासन

सहकारिता विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 3-6/2017/15-1 भोपाल, दिनांक 17/05/2021

प्रति,

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश

भोपाल

विषयः-परिसमापित राज्य / जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के शेष बचे सेवायुक्तों के संविलियन हेतु संविलियन योजना की अवधि में वृद्धि।

J.C.(LDB)

*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

19 MAY 2021

1. मंत्रिपरिषद आदेश आयटम क्रमांक 02 दिनांक 19 जून, 2019 द्वारा परिसमापित राज्य/ जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के सेवायुक्तों का सहकारी बैंकों / संस्थाओं में संविलियन हेतु पंजीयक द्वारा जारी योजना तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी योजना की बढ़ायी गयी अवधि जो दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गयी है, में दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक और वृद्धि की जावे।

2. सहकारी सोसाइटियों / सहकारी बैंकों में संविलियन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं को संस्था/बैंक की वित्तीय स्थिति या न्यायालयीन निर्णयों आदि उचित कारणों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जावे।

अतः राज्य शासन के निर्णय अनुसार समय-सीमा में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित की जाये।

(अजीत केसरी)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-6/2017/15-1 भोपाल, दिनांक 17/05/2021

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल की ओर पं.क्र. 1235/मु.स./21, दिनांक 13.05.2021 से प्राप्त मंत्रिपरिषद आदेश आयटम क्रमांक-13 दिनांक 11 मई, 2021 के अनुपालन में सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग